न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
अपील/टीए/324/2017

गौरूलाल बनाम दाखी

श्री आर.सी.सारस्वत वकील

दिनांक	कार्यवाही विवरण	की गई कार्यवाही मय इन्यीसीयियल
25.10.17	पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अतःआदेश दिया जाता है कि:– उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया के प्रकरण संख्या 5/2016 निर्णय दिनांक 19.9.2017 मे वर्णित ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा में स्थित वादग्रस्त आराजी संख्या 1002/186 रकबा 11 बिस्वा को आगामी पेशी दिनांक 5.12.2017 तक विक्रय/हस्तान्तरण/पंजीयन नही करे एवं यथास्थिति रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तारीख पेशी से पूर्व तलब किया जावे। रेस्पोडेण्ट के नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 5.12.2017 को प्रस्तुत हो। [signature] भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा	
5.12.17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से श्री O.P. यादव Adv ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से UIT श्री O.P. यादव Adv ने दी। प्रत्यर्थी सं. 3, 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पूर्व में जारी स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी दि. 23.1.18 तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली रेकार्ड इंतजारी में किये 23.1.18 को पेश हो। [signature]	UIT हेतु प्रत्यर्थी सं. 2 [signature] Adv (O.P. yadav)
2.1.18	वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली सिगेहे से निकाली जाकर पेश हुई। प्रार्थना पत्र में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के आधार पर वकील अपीलार्थी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और Not Press में खारीज कराना चाहते हैं। अतः पत्रावली Not Press में खारीज की जाती है। पूर्व का जारी स्थगन आदेश भी अपील के साथ खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जावे। बाद तकमील के दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं	not press. [signature] R.C. Saraswat adv. अपीला.